

प्रपत्र- VI
गुमला समाहरणालय, गुमला
(भू-अर्जन शाखा)

85

समाहर्ता / अपर समाहर्ता - सह - समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/ 2013 की धारा- 11(1) के अधीन)

क्रमांक- 329

दिनांक 6.11.18

चूंकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- अरहरा थाना- कामडारा थाना संख्या-78 अंचल- कामडारा जिला- गुमला कुल 0.99 एकड़ यानि 0.4008 हे० भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **Hatia Bondamunda doubling Railway line** परियोजना हेतु अपेक्षित है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) ख के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्त किये गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-अरहरा थाना- कामडारा थाना सं० 78 अंचल कामडारा जिला- गुमला में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.99 एकड़ यानि 0.4008 हेक्टेयर मानक माप का भू खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है:-

क्र०सं०	खाता संख्या	सर्वे भूखण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)			
						उ०	द०	पू०	प०
1	39	2719	निजी	0.282	जकरिया मुण्डा वगैरह वल्द जोहन मुण्डा वगैरह साकिन देह।	रास्ता	2715	2716	2716
2	45	2715	निजी	0.238	राजेश चौक वो गंगा चौक वो रमेश चौक वल्द लालमईन चौक साकिन देह।	2715	2720	2718	2719
3	63	2720	निजी	0.070	रामबालक बड़ाईक वल्द मोहन राम चौक वो रविन्द्र बड़ाईक वल्द सुखनाथ राम चौक साकिन देह।	2719	2724	2718	2720
4	63	2724	निजी	0.228	रामबालक बड़ाईक वल्द मोहन राम चौक वो रविन्द्र बड़ाईक वल्द सुखनाथ राम चौक साकिन देह।	2718	2725	2724	2724
5	177	2718	निजी	0.066	दाउद मुण्डा वल्द जुनी मुण्डा वगैरह साकिन देह।	2719	2724	2718	2719
6	145	2725	निजी	0.054	बिरसा मुण्डा वगैरह पिता सोमा मुण्डा वो बानहु मुण्डा वगैरह वल्द काटेया मुण्डा वगैरह साकिन देह।	2724	2725	2725	2724
7	190	2716	निजी	0.052	जोगो मुण्डा वल्द भुटका मुण्डा साकिन देह।	2724	2725	2725	2724
				0.99 एकड़					


यदि अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा- 11 के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह-समुचित सरकार


(5)


अवभूमि खोदने या भू-वेधन -छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गुमला।


अपर समाहर्ता
गुमला।


उपायुक्त
गुमला।